झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 35 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री चन्दन हाजरा एवं अन्य
प्र०-जमुआ, पंचायत -लताकी
जिला – गिरिडीह

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
गिरिडीह |

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–35 / 2023

परिवादी श्री चन्दन हाजरा, पंचायत–लताकी, प्रखण्ड–जमुआ, जिला–गिरिडीह का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है।

परिवादी द्वारा लताकी पंचायत के PDS डीलर द्वारा खाद्य सामग्री के वितरण में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है। परिवादी का आरोप है कि डीलर द्वारा मार्च, 2023 का NFSA का अनाज नहीं दिया गया। साथ ही पिछले कई काह का PMGKAY का अनाज भी नहीं दिया गया है। यह भी कि ग्रामिणों द्वारा इसकी शिकायत उपायुक्त, गिरिडीह को आवेदन के माध्यम से किया गया। साथ ही परिवादी द्वारा इसकी जानकारी संबंधित प्रखण्ड अधिकारी को की गई, लेकिन गड़बड़ी पाये जाने के बाद भी अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुआ।

मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–12.09.2023 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–12.09.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

7.8.23

(शबनम परवीन)	**(हिमांशु शेखर चौधरी)**
सदस्य,	अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।